


22.12.16

पत्रावली पेशा और सापल वकील उपायित।
मिलाल वान्ते वदम दिनांक ~~22.12.16~~ 10.1.17 को
पेशा है।


तहसीलदार, मेड़ता
(नागौर-राजस्थान)

10.1.17

पत्रावली पेशा हुई। और सापल नेमाराम उपायित।
सापले के तथ्य सिद्धि में इस प्रकार है कि पेशारी
हलका शुभदण्ड ने कुछ मजदूरी में से सि तत्थापित
एक रिपोर्ट पेश की है कि नेमाराम पुत्र भादुराम
जन्मि जात 10.01.1945 की ठानी ने भी वकील
की ठानी के खण्ड 263 इका 0.02 है। और पुणशात्त
पर पेशा मजदूर कनाकर अवेद अतिवृत्त किच है।
इस पर और सापल के विरुद्ध खाराया CR Act के
तहत प्रकरण दर्ज किच जाकर नौरिस जारी किचे और
और सापल तारीख पेशी पर उपायित हुमा और
जवाब पेश किच। जो खण्ड 10 है।



अंक

ग्रंथि धारा 16 ATAT के तहत शास्त्रा प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में होने से और सापस को आवेक (नियामक) नहीं किया जा सकता। शास्त्रा सार्वजनिक उपयोग में आता है। जिसके कारण भूमि को मुलनाम भूमि माने इशारापान्त अन्तिग होगा।


अतः और सापस को मुलनाम भूमि पर अतिक्रमण को प्रति रोकित किया जाकर भूमि से भौतिक रूप से वेदकाल किये जाने के आदेश किये जाते हैं एवं मुलनाम भूमि पर अतिक्रमण हेतु लगान 0.16 प्ला 30 शुणा विरूपये ह। - अर्धकठ आशिकिये किया जाता है।

पश्चारी हल्ला व टीआरएस सुचित्र है। जिनल जैनल शुमार होकर वायिले वफलर है।

निर्दिष्ट निरे उपलाम मुनाय गाय।

वर्. 2016-17 रूपय 8
...से. 4 केपुष्ठ सं. 3... पर हजं की


बहरील राजस्व लेखाकार वेरना


तहसीलदार, मेड़ता
(नागौर-राजस्थान)